FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

बनाम

प्रार्थीगण—	अप्रार्थीः—
भीखाराम विश्नोई.	तहसीलदार जोधपुर
अन्तर्गत धारा 131 136 राज. भू. राजस्व अधि.	प्रा.पत्र संख्याः — 27 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
25.02.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 4-3-26 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
4-3-26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय आइन्दा दिनांक 12-3-2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
12-3-2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर।

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 27/2026

प्रार्थी :

भीखाराम बिश्नोई पुत्र श्री सहीराम, जाति बिश्नोई, निवासी 16, पुलिस थाना बनाड़ के पास, बनाड़, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् ग्राम बिश्नोईयों की ढाणी, बनाड़ में प्रार्थी के खसरा नम्बर की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम भूमि ख0न0 479 से विलोपित किया जाकर ख0न0 480 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज करने।

उपस्थितिः प्रार्थी की ओर से— प्रार्थी स्वयं उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार उपस्थित

आदेश दिनांक 12-03-2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिश्नोईयां की ढाणी, पटवार क्षेत्र बनाड़, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर की सम्वत् 2060 से 2063 की जमाबंदी के खाता संख्या 64 में कुल 5 खसरों

उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि खातेदार बुधाराम पुत्र श्री खेताराम के नाम से आई हुई थी, उक्त खाता सं0 64 में से दि0 14.08.2015 को भूमि के खातेदार बुधाराम से प्रार्थी ने 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि खरीद की तथा बाद खरीद से प्रार्थी उक्त खरीद भूमि पर काबिज काश्त हैं, प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खरीद करने के उपरान्त उक्त बेचाननामा के अनुसरण में अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया, उक्त खाता संख्या 64 का विवरण अनुसूची–ए के रूप में निम्न प्रकार हैः–

खाता सं0 नया	खाता सं0 पुराना	भूमी धारक	काश्तकार का नाम	खसरा नं0	क्षेत्रफल (बीघा में)	भूमि किस्म
64	63	राज. सरकार	बुधाराम पुत्र खेताराम, जाति विश्नोई सा0दे0 खातेदार	479/5 480/4 480/5 508/2 515/2	14–07 07–10 08–00 24–10 16–08	बा–III बा–III बा–III बा–III बा–III
			कुल खसरा–5	कुल रकबा	70–15	

उपरोक्त अनुसूची–ए की जमाबंदी सम्वत् 2061–63 की प्रति संलग्न प्रस्तुत है तथा वर्तमान में ऑनलाईन सेगीग्रेशन के द्वारा नवीन जमाबंदी चौसला सम्वत् 2080–83 ग्राम विश्नोईयों की ढाणी कायम की गई है जिसके द्वारा उक्त अनुसूची–ए में वर्णित भूमि ख0न0 479/5, 480/4, 480/5 की नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण उक्त खसरों का एकीकरण करते हुए मूल ख0न0 479 एवं 480 की

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

अलग–अलग जमाबंदी तैयार की गई है जिसमें ख0स0 479 रकबा 14.2449 हैक्टर का जिसके खाता सं0 23 कायम किये गए है एवं ख0न0 480 रकबा 7.4705 हैक्टर के नवीन खाता सं0 25 कायम किये गए हैं, प्रार्थी की खरीद भूमि के पड़ौस निम्न प्रकार है:–

उत्तर मे :– बनाड़ से जाजीवाल धोरा जाने वाली 30 फुट डामर सड़क।

दक्षिणी मे :– बेचानकर्ता की इसी खसरे की शेष भूमि।

पूर्व मे :– बेचानकर्ता की इसी खसरे की शेष भूमि।

पश्चिम मे :– बेचानकर्ता की इसी खसरे की शेष भूमि।

प्रार्थी ने दि0 25.02.2025 को अपनी भूमि के सर्वे प्लान हेतु तकनिकी टीम को मौके पर लेकर आये पर भूमि का सर्वे एवं गूगल इम्पोज करवाया तो प्रार्थी को सर्वे टीम ने बताया कि उक्त भूमि ख0न0 479 का भाग न होकर 480 का भू–भाग है जबकि प्रार्थी का बेचाननामा ख0न0 479 का के संबंध में निष्पादित हो गया था, उक्त बेचाननामा निष्पादित होते समय प्रार्थी का खरीद रकबा एवं पड़ौस को सही अंकित किये गए हैं परन्तु दोनों खसरों के मालिक/बेचानकर्ता एक ही व्यक्ति होने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश ख0न0 480 की बजाय 479 अंकित हो गया है तब प्रार्थी हल्का पटवारी के पास जाकर उक्त खसरा नम्बर की अशुद्धि के संबंध में शुद्धि किये जाने हेतु निवेदन किया तब पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती से पूर्व बेचाननामे में शुद्धि पत्र निष्पादित करवाने

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

का कहा तब प्रार्थी द्वारा बेचानकर्ता बुधाराम की मृत्यू हो जाने के कारण उनके वारिसान को उक्त खसरा नम्बर में रही अशुद्धि को शुद्धीपत्र निष्पादित करवाने हेतु निवेदन किया तब बुधाराम के वारिसान ने शुद्धिपत्र निष्पादित करवाने से इनकार कर दिया तब प्रार्थी ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सं0 3 जोधपुर महानगर के समक्ष एक दिवानी वाद 45/2025 अनवान भीखाराम बनाम सुरजाराम वगैरा प्रस्तुत किया जिसमे माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सं0 3 द्वारा प्रार्थी के वाद दि0 15.12.2025 को डिक्री किया जाकर प्रार्थी के बेचाननामा में प्रार्थी की खरीद भूमि खसरा नम्बर 480 में होने के संबंध में घोषणा की डिक्री पारित की तथा उक्त डिक्री की पालना में यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर की शुद्धि हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं तथ्यों पर मनन किया गया, प्रार्थी के बेचाननामे में रही खसरा नम्बर में रही अशुद्धि को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.12.2025 से प्रार्थी की भूमि को खसरा नम्बर 480 का भाग मानते हुए घोषणा की डिक्री पारित की गई है, चूंकि प्रार्थी ने उक्त घोषणा की डिक्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्धि हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

है, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश द्वारा प्रार्थी की साक्ष्य एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का दीवानी वाद स्वीकार किया है अतः उक्त विवेचन एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के आधार पर एवं प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम भूमि ख0न0 479 में से विलोपित किया जाकर खसरा नम्बर 480 में सह–खातेदार के रूप में दर्ज करें तथा इस हेतु शुद्धि पत्र का नामान्तरकरण दर्ज कर उक्त प्रकिया का निष्पादन करें तथा रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वर्तमान चालू खतौनी बंदोबस्त मे दर्ज किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 12-03-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner